

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक 5-7-19

संख्या-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0.....9021/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-43016 दिनांक 13.05.2019 द्वारा संसूचित अनुशांसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3433 दिनांक 12.03.2019 के प्रसंग में 06 (छः) माह की अवधि विस्तारित श्री राणा अभय सिंह, पीठासीन पदाधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पटना एवं श्री समीर कुमार झा, पीठासीन पदाधिकारी, त्वरित न्यायालय, सुपौल को 70 वर्ष की आयु पार कर लेने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त किया जाता है। उक्त न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई लंबित बकाया हो तो उसकी वसूली एकमुश्त कर ली जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0.....9021/पटना-15, दिनांक 5-7-19  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0.....9021/पटना-15, दिनांक 5-7-19  
प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-43016 दिनांक 13.05.2019 के प्रसंग में/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना एवं सुपौल/संबंधित सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

निबंधित